न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 174/2017

अनवान :

1. जामा मस्जिद प्रबंध समिति अनूपशहर जरिये अध्यक्ष इलियास खां पुत्र श्री चिराग खां जाति तेली निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।

– **वादी**

बनाम

1. शरीफ खां पुत्र श्री चान्दू खां जाति नीलगर निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
2. मुमताज खां पुत्र श्री लीलू खां जाति नीलगर निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती व नामान्तरकरण निरस्तीकरण

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री विरेन्द्र बैनीवाल : **वादी**

वकील श्री गोविन्द राम चायल : **प्रतिवादी सं0 1 ता 2**

निर्णय **दिनांक :** 22-6-18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम अनूपशहर की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 के खाता सं0 324/420 की वादी सं0 1 की माताजी एवं वादी सं0 2 की दादीजी व प्रतिवादी सं0 1 के नाम से कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। प्रतिवादी सं0 1 व उसकी माता कश्मीरों पत्नी चान्दू खां व प्रतिवादी सं0 2 की दादी कश्मीरो ने दिनांक 24.06.2013 को जरिये बैयनामा कश्मीरो पत्नी चान्दू खां ने अपना सम्पूर्ण 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 ने अपने 1/12 हिस्सा में से 0.0804 है0 कृषि भूमि को वादी को विक्रय कर उसके पक्ष में बैयनामा तस्दीक रजि0 करवा दिया था। कृषि भूमि का बैयनामा होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 की माता व प्रतिवादी सं0 2 की दादी कश्मीरो पत्नी चान्दु खां देहान्त हो गया था। कश्मीरो के देहान्त के बाद जब वादी ने पटवारी हल्का से उपरोक्त खरीदशुदा कृषि भूमि का नामान्तरण दर्ज करवाने के लिये सम्पर्क किया तो वादी को पता चला की कश्मीरो के देहान्त के पश्चात प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने उपरोक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम से दर्ज करवा लिया है।

उपरोक्त खरीदशुदा कृषि भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रहने से वादी को अपूर्णीय क्षति हो रही है इसलिए कृषि भूमि का नामान्तरकरण निरस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 इकबाल दावा मय राजीनामा पेश किया व प्रतिवादी सं0 3 ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में इलियास खां के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति बैयनामा दिनांक 24.06.2013 प्रदर्श 2ए, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम अनूपशहर

खाता सं0 324/420 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, चित्रप्रति प्रमाणित नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम अनूपशहर प्रदर्श 3 व 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए लिखित बहस प्रस्तुत की।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम अनूपशहर के राजस्व रिकार्ड मे मुमताज खा व शरीफ खां के नाम दर्ज भूमि की रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 24.06.2013 के मुताबिक घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो चित्रप्रति बैयनामा दिनांक 24.06.2013 प्रदर्श 2ए प्रदर्शित करवाई है उसके स्पष्ट है कि वाद भूमि दिनांक 24.06.2013 को जरिये बैयनामा कश्मीरो पत्नि स्व0 चन्दूखां व शरीफ खां पुत्र चान्दू खां द्वारा जामा मस्जिद प्रबंध समिति अनूपशहर को बेचान की गई थी एवं प्रदर्श 1 के अवलोकन से वाद भूमि कश्मीरो की फौतगी के बाद मुमताज खां के नाम विरासतन दर्ज हो जाना स्पष्ट हो रहा है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने वादी के दावा का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं करते हुए जरिये इकबालदावा वाद वादी स्वीकार किया है व दावा वादी डिक्री किया जाता न्यायोचित बताया है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक बैयनामा दिनांक 24.06.2013 के डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अनूपशहर के खाता सं0 324/420 में कश्मीरो पत्नी चान्दु खां के 1/6 हिस्सा व शरीफ पुत्र चान्दु खां 1/12 में से 0.0804 है0 कृषि भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण के नाम में से कश्मीरो का 1/6 हिस्सा और शरीफ खां का 1/12 हिस्सा में से 0.0804 है0 कृषि भूमि कुल 1.2650 है0 कृषि भूमि का प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के नाम से दर्ज नामान्तरकरण निरस्त कर वादी के नाम 1.2650 है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22-6-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 174/2017

अनवान :

1. जामा मस्जिद प्रबंध समिति अनूपशहर जरिये अध्यक्ष इलियास खां पुत्र श्री चिराग खां जाति तेली निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।

– वादी

बनाम

1. शरीफ खां पुत्र श्री चान्दू खां जाति नीलगर निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
2. मुमताज खां पुत्र श्री लीलू खां जाति नीलगर निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विरेन्द्र बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 व 2 श्री गोविन्दराम चायल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक बैयनामा दिनांक 24.06.2013 के डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अनूपशहर के खाता सं0 324/420 में कश्मीरो पत्नी चान्दु खां के 1/6 हिस्सा व शरीफ पुत्र चान्दु खां 1/12 में से 0.0804 है0 कृषि भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण के नाम में से कश्मीरो का 1/6 हिस्सा और शरीफ खां का 1/12 हिस्सा में से 0.0804 है0 कृषि भूमि कुल 1.2650 है0 कृषि भूमि का प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के नाम से दर्ज नामान्तरकरण निरस्त कर वादी के नाम 1.2650 है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22·6·18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़